सत्र- 2022-23

स्थापना वर्ष-1969

श्रद्धावान लभते ज्ञानम्

अम्बेडकरनगर

निर्देशिका

विद्यार्थी इसे भली-भाँति पढ़ लें

विशेश्वर नाथ कैलाश बिहारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय

अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर

अभिसम्बद्ध-डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

Website : www.bnkbpg.org.in Email : principalbnkbpgcollege@gmail.com

प्रबन्धक–श्री कृष्ण कुमार टण्डन

प्राचार्य- प्रो. (डॉ.) शुचिता पाण्डेय

विशेश्वर नाथ कैलाश बिहारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय

अकबरपुर, अम्बेडकरनगर (उ.प्र.)

(डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के पूर्व कुलपति डॉ0 अनन्त प्रसाद मेहरोत्रा द्वारा घोषित)

गुणनिष्ठ संस्थान (QUALITY INSTITUTION)

यह महाविद्यालय, अम्बेडकरनगर जनपद का उच्च शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है। महाविद्यालय सुविख्यात श्री गाँधी आश्रम के निकट राजकीय बस स्टेशन अकबपुर के पश्चिम में स्थित है।

1. संक्षिप्त परिचय

1914 में स्थानीय जमींदार एवं अधिवक्ता स्व. पं. विश्वेश्वर नाथ हांगल ने आधुनिक शिक्षा के प्रसारार्थ एंग्लोवर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना की थी। धीरे–धीरे यह संस्था विकसित होकर इण्टरमीडिएट कॉलेज बन गयी। स्थानीय निवासी स्व. श्री कैलाश बिहारी मेहरा द्वारा किये गये दान के फलस्वरूप जुलाई, 1969 में संस्था का नाम "विश्वेश्वर नाथ कैलाश बिहारी महाविद्यालय" रखा गया। महाविद्यालय विकास के प्रमुख चरण निम्नलिखित है :–

स्थापना	जुलाई 1969 ई.
स्थायी सम्बद्धता	जुलाई 1972 ई.
बी.एड्. की मान्यता	जुलाई 1973 ई.
एम.ए. समाजशास्त्र की मान्यता	जुलाई 1977 ई.
एम.ए. हिन्दी एवं अर्थशास्त्र की मान्यता	जुलाई 1982 ई.
एम.ए. अंग्रेजी की मान्यता	जुलाई 1986 ई.

महाविद्यालय का संचालन एक निबद्ध समिति द्वारा होता है। समिति के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र प्रकाश टण्डन तथा मंत्री श्री कृष्ण कुमार टण्डन है।

यह महाविद्यालय अकबरपुर की गौरवशाली राष्ट्रीय परम्परा एवं सांस्कृतिक निष्ठा को अक्षुण्ण बनाये रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है छात्र–छात्राओं को शारीरिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के संचय की प्रेरणा देकर उन्हें मानव मात्र के कल्याण हेतु अग्रसर करना संस्था का वृहत्ता उद्देश्य है। संस्था का आदर्श वाक्य है :–

"श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्"

2. विषय तथा पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में बी.ए., बी.एड्. तथा एम.ए. की कक्षायें चल रही है। इनका विवरण निम्नलिखित है–

2.1 बी.ए. पाठ्यक्रम : विश्वविद्यालय द्वारा 1986–87 से स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम लागू है। बी. ए. की उपाधि बी. ए. भाग–3 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही दी जायेगी। विद्यार्थी बी. ए. भाग–1 तथा बी. ए. भाग–2 में तीन विषयों का अध्ययन करेगें, किन्तु बी. ए. भाग–3 में उन्हें केवल दो विषयों का अध्ययन करना होगा । ये दो विषय ही उनके मुख्य विषय माने जायेगें।

2.2 बी. ए. स्तर पर 1. हिन्दी, 2. संस्कृत 3. अंग्रेजी 4. मध्यकालीन इतिहास 5. राजनीति शास्त्र 6. समाजशास्त्र 7. अर्थशास्त्र 8. मनोविज्ञान 9. भूगोल, 10. गृह विज्ञान एवं 11. शिक्षा शास्त्र विषयों का अध्यापन होता है।

2.3 उपर्युक्त सभी विषय दो वर्गो मे होगें जिनमें से विद्यार्थी को किसी एक वर्ग से किन्ही तीन विषयो का चयन करना है। वर्ग विवरण बिन्दु 3.1 पर अंकित है।

2.4 शासन ने 1986–87 से स्नातक स्तर पर अतिरिक्त विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के अध्यापन की भी स्वीकृति प्रदान की है और इसका अध्यापन भी होता है।

2.5 वर्तमान में शासन ने बी0ए0 भाग 3 में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। और **BA II** के लिए राष्ट्र गौरव, पर्यावरण अनिवार्य कर दिया गया है।

2.6 बी.एड्. पाठ्यक्रम : बी.एड्. पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) जयपुर द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा यहाँ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त प्रश्न–पत्रों का अध्यापन होता है।

3. विषय-चयन

विषय चयन की मुख्य कठिनाई बी.ए. भाग–1 के प्रवेशार्थियों के समक्ष रहती है– इस कक्षा के प्रवेशार्थी को अपना रूचि, भावी योजना एंव पूर्व शिक्षा के लब्धांकों (प्राप्तांको) के आधार पर विषय चयन करना चाहिए। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर निम्नलिखित ग्यारह विषयों का अध्ययन होता है–

1. हिन्दी, 2. संस्कृत 3. अंग्रेजी 4. मध्यकालीन इतिहास 5. राजनीति शास्त्र 6. समाजशास्त्र 7. अर्थशास्त्र 8. मनोविज्ञान 9. भूगोल, 10. गृह विज्ञान 11. शिक्षाशास्त्र

3.1 (अ) इण्टरमीडिएट भूगोल, कृषि अथवा विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण होने वाले प्रवेशार्थी ही भूगोल का चयन कर सकते हैं।

(ब) दो से अधिक साहित्य के विषयों का चयन नहीं किया जा सकता ।

3.2 अभ्यर्थी अपने विषय का चयन विधिवत् सोच– विचार कर करें । प्रवेशोपरान्त विषय–परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3.3 विषय– चयन का अन्तिम निर्णय प्राचार्य का होगा, जिसे अभ्यर्थी को स्वीकार करना होगा।

3.4 एम.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी केवल उसी विषय का चयन कर सकते हैं जिसका अध्ययन उन्होंने बी.ए.–3 में किया है और इस परीक्षा में उस विषय में अच्छे अंक प्राप्त किये हैं।

4. प्रवेश-प्रक्रिया

इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा जो इस निर्देशिका में संलग्न है। आवेदन–पत्र के साथ वांछित समस्त आवश्यक प्रपत्रों की छाया–प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

4.1 आवेदन–पत्र को भली भाँति पूरित करके समस्त आवश्यक संलग्नकों के साथ कार्यालय में जमा करके इसकी 'प्राप्ति–रसीद' प्राप्त कर लेनी चाहिए।

4.2 समस्त कक्षाओं के समस्त प्रवेश साक्षात्कार के आधार पर किये जायेगें।

4.3 बी.एड. में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत योग्यता सूची तैयार की जायेगी । विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सूची से ही प्रवेश किया जा सकेगा।

4.4 प्रवेश के सामान्य नियम महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

4.5 निर्धारित अवधि में प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी का प्रवेश सम्बन्धी दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा । किसी भी दशा में अन्तिम तिथि आगे नहीं बढ़ायी जायेगी एवं रिक्तता की पूर्ति अगले अभ्यर्थियों से कर ली जायेगी।

4.6 स्नातक प्रथम वर्ष में प्राध्यापकों की संख्या के अनुपात में ही छात्रों को विषय आवंटित किये जायेगें।

4.7 परास्नातक प्रथम वर्ष की प्रत्येक कक्षा में मात्र 75 विद्यार्थियों का प्रवेश ही शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियत किया गया है।

4.8 बी.ए. प्रथम वर्ष एवं एम.ए. प्रथम वर्ष में छात्रों की संख्या का 21% अनुसूचित जाति, 2% अनुसूचित जन जाति तथा 27% पिछड़ी जाति के प्रवेशार्थियों का प्रवेश शासन द्वारा आरक्षित है।

4.9 प्रवेश सूची के नाम आने पर प्रवेशार्थी को निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थिति होना होगा। इसी समय प्रवेशार्थी को अपने समस्त मूल अंक–पत्र एवं प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करने होगें।

4.10 प्रवेश सूची में नाम आने पर प्रवेशार्थी को प्रवेश निर्धारित नियमों के अनुसार किया जायेगा। अधोलिखित नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(क) बी.एड्. में प्रवेश हेतु चयनित सेवारत अभ्यर्थियों को आवश्यक अनापत्ति एवं अवकाश प्रमाण–पत्र देना होगा।

(ख) अपूर्ण तथा असावधानीपूर्वक पूरित आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे आवेदन –पत्र स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा।

(ग) आवेदन–पत्र जिस नाम से निर्गत है, उसके स्थान पर किसी अन्य के नाम से जमा करने पर उसे निरस्त कर दिया जायेगा।

(घ) आवेदन–पत्र में गलत सूचना देने पर भी प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(ङ) प्रवेश के समय अभ्यर्थी को इस आशय का नोटरी का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। कि वह किसी भी आपराधिक कृत्य में कभी संलिप्त नहीं रहा है तथा उस पर कोई आपराधिक वाद किसी थाने में पंजीकृत नहीं है । संज्ञान में आने पर गलत शपथ–पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(च) परीक्षा में अनुचित साधन–प्रयोग में पकड़े गये विद्यार्थी प्रवेश नहीं पा सकेगें। यदि तथ्य छिपाकर कोई प्रवेशार्थी किसी प्रकार से प्रवेश प्राप्तकर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर उसका प्रवेश तो निरस्त कर ही दिया जायेगा साथ ही उस कृत्य के लिए उसे दण्डित भी किया जायेगा।

(छ) साक्षात्कार में उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी अपना शुल्क महाविद्यालय–कार्यालय में जमा करेगें।

(ज) निर्धारित शुल्क कार्यालय में जमा करने के उपरान्त प्राचार्य की स्वीकृति के पश्चात् ही प्रवेश वैध होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने शुल्क जमा कर दिया है, किन्तु उसकी स्वीकृति प्राचार्य द्वारा नहीं होती है तो ऐसा प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(झ) प्राचार्य किसी भी अभ्यर्थी को बिना कारण बताये प्रवेश के अयोग्य घोषित कर सकते हैं।

(ञ) अभ्यर्थी का प्रवेश–शुल्क जमा करते समय दो पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटो जमा करने होगें।

(ट) प्रवेश के नियमों में समय–समय पर शासन/ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्गत नियमों के अनुरूप परिवर्तन/ परिवर्द्धन होते रहेगें।

" कोविड–19 कोरोना वायरस के रोकथाम के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित/ आदेशित सभी दिशा–निर्देशों का पालन महाविद्यालय परिसर में करना अनिवार्य होगा।"

5. शुल्क विवरण

		बी.ए. बी. एड़. एम. ए.	वार्षिक	
1–	प्रवेश शुल्क		वार्षिक	5.00
2–	शिक्षण शुल्क	बी.ए.	वार्षिक	11.00
		एम.ए.	वार्षिक	15.00
		बी.एड़.	वार्षिक	18.00
3–	महंगाई–शुल्क		वार्षिक	3.50
4–	छात्र–पंजी शुल्क		वार्षिक	4.00
5–	टी.सी. शुल्क		वार्षिक	3.00
6–	पुस्तकालय शुल्क		वार्षिक	50.00
7–	वाचनालय शुल्क		वार्षिक	25.00
8–	क्रीड़ा शुल्क		वार्षिक	200.00
9–	विकास शुल्क		वार्षिक	80.00
10–	पत्रिका शुल्क		वार्षिक	30.00
11–	सांस्कृतिक शुल्क		वार्षिक	25.00
12–	परिचय–पत्र शुल्क		वार्षिक	15.00
13–	दीक्षान्त समारोह– शुल्क		वार्षिक	25.00
14–	छात्र कल्याण कोष –शुल्क		वार्षिक	36.00
15–	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क		वार्षिक	150.00
16–	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, बी.ए.		वार्षिक	400.00
17–	पर्यावरण शुल्क बी.ए. तृतीय		वार्षिक	50.00
18–	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क एम.ए.		वार्षिक	550.00
19–	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क बी.एड़.		वार्षिक	1000.00
20–	पुस्तकालय कार्ड शुल्क		वार्षिक	15.00
21–	अवधान मुद्रा शुल्क, पुस्तकालय		वार्षिक	30.00
22–	प्रयोगात्मक विषय प्रतिभूति बी.ए., बी.एड़.		वार्षिक	50.00
23–	प्रयोगात्मक शुल्क बी.ए. प्रति विषय		वार्षिक	240.00
24–	शीतोष्ण शुल्क		वार्षिक	72.00
25–	सेवा योजना शुल्क		वार्षिक	12.00
26–	अंकतालिका–शुल्क		वार्षिक	70.00
27–	कालेज दिवस		वार्षिक	20.00
28–	पंखा शुल्क		वार्षिक	5.00
29–	परिषद शुल्क		वार्षिक	5.00
30–	सत्रीय कार्य शुल्क		वार्षिक	250.00
31–	प्रयोगशाला शुल्क बी.एड़.		वार्षिक	880.00
32–	विद्युत शुल्क		वार्षिक	200.00
33–	गृह परीक्षा शुल्क/सत्रीय परीक्षा शुल्क		वार्षिक	100.00

नोट : 1– निर्धारित शुल्क में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप परिवर्तन होता रहेगा।
2– पर्यावरण शिक्षा एवं राष्ट्र गौरव के लिए अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा।
3– साइकिल, मोटर साइकिल एवं कार लाने वाले छात्रों को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

5.1 जमा किया हुआ कोई प्रपत्र वापस लेने का शुल्क 50 रूपये देय होगा।

5.2 यदि कोई छात्र अपना अभिज्ञान–पत्र खो देता है तो उसे द्वितीय अभिज्ञान–पत्र प्राप्त करने के लिए नोटरी का शपथ–पत्र एवं निर्धारित शुल्क पुनः जमा करना होगा।

5.3 प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य होगा कि वह अपना अभिज्ञान–पत्र महाविद्यालय में प्रवेश तिथि के 10 दिन के भीतर बनवा ले उक्त अवधि के अन्दर अभिज्ञान–पत्र न बनवाने पर सम्बन्धित छात्र का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

5.4 महाविद्यालय की समस्त देय धनराशि प्रत्येक दशा में 10 मार्च तक जमा करनी होगी।

5.5 कार्यालय में शुल्क जमा करने का समय सोमवार से शनिवार प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक तथा द्वितीय व चतुर्थ शुल्क शनिवार को नहीं जमा होगा।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति- प्रवेश सम्बन्धी दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार सत्र 2022-23 में स्नातक (बी0ए0) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नियम-

1. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा हेतु सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गयी है।
2. स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशार्थी अपने मूल संकाय के दो मेजर (मुख्य विषय), एक माइनर (लघु)/इलेक्टिव (वैकल्पिक) विषय अनिवार्यरूप से चयन करने के साथ CO-CURRICULAR (सहगामी–पाठ्यक्रम) एवं एक वोकेशनल (रोजगारपरक) पाठ्यक्रम का चयन करेंगे।
3. किसी भी मुख्य, लघु/वैकल्पिक विषय के चयन की स्वतंत्रता/पात्रता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा विहिप परिनियमावली/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।
4. प्रवेशित छात्र/छात्रा को एक वर्ष दो सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपने चुने हुए संकाय में वोकेशनल (रोजगारपरक) पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा व उक्त पाठ्यक्रम छोड़ने की स्वतंत्रता रहेगी।
5. प्रवेशित छात्र–छात्रा को दो वर्ष (चार सेमेस्टर) की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अपने चुने हुए संकाय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा व अध्ययन छोड़ने की स्वतंत्रता रहेगी।
6. प्रवेशित छात्र/छात्रा को तीन वर्ष (छह सेमेस्टर) की परीक्षा उत्तीर्ण के बाद संकाय में स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी।
7. मूल्यांकन प्रक्रिया सी0बी0सी0एस0 (C.B.C.S.) प्रणाली के क्रेडिट व्यवस्था के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।
8. अपने संकाय में 60 प्रतिशत क्रेडिट स्कोर पाने वाला स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा।
9. 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री प्राप्त होगी व पात्रता मुक्त विषयों से ही स्नातकोत्तर कर सकेगा।
10. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक विद्यार्थी संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (COMMUNICATION SKILL AND PERSONALITY DEVLOPEMENT) तथा विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवयरनेस (ANALYTIC ABILITY & DIGITAL AWARENESS) का अनिवार्य रूप से अध्ययन करेगा।
11. महाविद्यालय में विद्यार्थी के पठन–पाठन हेतु वोकेशनल (रोजगारपरक) पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की व्यवस्था है।
12. प्रत्येक प्रवेशार्थी के लिए विषय के चयन हेतु महाविद्यालय की बी0ए0 प्रवेश समिति एवं नई शिक्षा नीति–2020 समन्वय समिति सहयोग करेगी।

प्रवेश के लिए सीटों की अनुमन्यता एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय/विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विषय-संयोजन :

विषय-संयोजन (कला संकाय) :

विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर चयन हेतु उपलब्ध विषय निम्नांकित तालिका में सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप तथा विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के दृष्टिगत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश के समय निम्नांकित तालिका से 03 मेजर विषयों का चुनाव चयन–सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाना होगा। आगामी सत्रों हेतु विषय–चयन की प्रक्रिया को आवश्यकतानुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। प्रक्रिया परिवर्तन की दशा में विश्वविद्यालय स्तर से पृथक अधिसूचना जारी की जाएगी।

1. हिन्दी	14. समाजशास्त्र (प्रायोगिक)
2. संस्कृत	15. मनोविज्ञान (प्रायोगिक)
3. अंग्रेजी	16. शिक्षाशास्त्र (प्रायोगिक)
4. उर्दू	17. गणित (प्रायोगिक)
5. सिन्धी	18. संगीत (प्रायोगिक)
6. दर्शनशास्त्र	19. चित्रकला (प्रायोगिक)
7. अर्थशास्त्र	20. समाजकार्य (प्रायोगिक)
8. लोक प्रशासन	21. शारीरिक शिक्षा (प्रायोगिक)
9. प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	22. कम्प्यूटर सांइस (प्रायोगिक)
10. इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक)	23. गृह विज्ञान (प्रायोगिक)
11. जैनोलॉजी	24. आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेकेटेरियल प्रेक्टिस (प्रायोगिक)
12. भूगोल (प्रायोगिक)	25. रक्षा एवं स्नातेजिक अध्ययन (प्रायोगिक)
13. राजनीति शास्त्र (प्रायोगिक)	

विषय-संयोजन (कला संकाय) :-

(a) विद्यार्थी दो से अधिक भाषा/साहित्य विषयों का चयन नहीं करेगा।
(b) विद्यार्थी दो से अधिक प्रायोगिक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा।
(c) विद्यार्थी को 'प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, जैनोलॉजी तथा इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक)' विषयों में से किसी एक ही विषय का चयन करना होगा।
(d) 'समाज शास्त्र' विषय तथा 'समाज कार्य' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
(e) 'सिन्धी' विषय तथा 'उर्दू' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
(f) 'राजनीति शास्त्र' विषय तथा 'लोक प्रशासन' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
(g) ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड सेकेटेरियल प्रेक्टिस तथा कम्प्यूटर सांइस विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
(h) 'मनोविज्ञान' विषय तथा 'शिक्षाशास्त्र' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
(i) 'गृह विज्ञान' विषय एवं 'रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेगें।

स्नातक स्तर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-curricular)-

10. 01 (a) स्नातक के विद्यार्थी के लिए प्रति सेमेस्टर के क्रम में निर्धारित 02 क्रेडिट के सहगामी–पाठ्यक्रम (Co-curricular) का अध्यन करना अनिवार्य होगा।

(b) अनिवार्य सहगामी–पाठ्यक्रमों (Co-curricular) का सेमेस्टर के अनुक्रम में वितरण निम्नवत् है–

क्रम	वर्ष	सेमेस्टर	सहगामी–पाठ्यक्रम
1	प्रथम वर्ष	प्रथम सेमेस्टर	खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
		द्वितीय सेमेस्टर	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ (First Aid and Health)
2	द्वितीय वर्ष	तृतीय सेमेस्टर	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
		चतुर्थ सेमेस्टर	शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
3	तृतीय वर्ष	पंचम सेमेस्टर	विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awareness)
		षष्ठम सेमेस्टर	संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication skill and Personality Development)

10.02 स्नातक स्तर पर प्रति–सेमेस्टर के क्रम में सहगामी–पाठयक्रम/प्रश्नपत्र (Co-curricular) Qualifying प्रकृति के होंगे। सहगामी–पाठ्यक्रम/प्रश्नपत्र को **Qualify** करने तथा निर्धारित क्रेडिट की पूर्ति के लिए 40%. उत्तीर्णता अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10.03 उपाधि की पूर्णता तथा प्राप्ति के लिए इन प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, परन्तु इन प्रश्नपत्रों के सापेक्ष निर्धारित 02 क्रेडिट को SGPA/CGPA गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

10.04 स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन–अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था सम्बन्धित संस्थान द्वारा की जायेगी।

10.05 चूँकि अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन–अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों/विषय–विशेषज्ञ की व्यवस्था के लिए महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है अत: महाविद्यालय वित्तीय आंकलन के उपरान्त अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों के संदर्भ में No-Profit-No-Loss के आधार शुल्क–निर्धारण अपने स्तर से करेंगे।

बी0एन0के0बी0पी0जी0 कॉलेज, अकबरपुर-अम्बेडकरनगर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार सत्र 2022-23 में स्नातक (बी0ए0) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नियम-

कला संकाय प्रथम सेमेस्टर के लिए उपलब्ध माइनर /ELECTIVE विषयों की सूची-

SN	SUBJECT	COURSE CODE	MINOR/ELECTIVE PAPER	AVAIABILITY	PRE.REGQ.AV
01	HISTORY	A050101T	ANCIENT AND EARLY MEDIVAL INDIA (TILL1206 AD)	OPEN TO ALL	06
02	ENGLISH	A040101T	ENGLISH PROSE AND WRITING SKILLS	OPEN TO ALL	06
03	SANSKRIT	A020101T	संस्कृत पद साहित्य एवं व्याकरण	OPEN TO ALL	06
04	HINDI	A010101T	हिन्दी काव्य	OPEN TO ALL	06
05	ECONOMICS	A080101T	PRINCIPLE OF MICRO FINANCE	OPEN TO ALL	06
06	GEOGRAPHY	A110101T	PHYSICAL GEOGRAPHY	OPEN TO ALL	06
		A110102P	ELEMENTS OF MAP SURVEYING	OPEN TO ALL	06
07	POLITICAL SCIENCE	A060101T	INDIAN NATINAL MOVEMENT AND CONSTITUTUTION OF INDIA	OPEN TO ALL	06
		A060102P	AWARENESS OF RIGHTS & LAWS	OPEN TO ALL	06
08	PSYCHOLOGY	A090101T	BASIC PSYCHOLOGICAL PROCESS	OPEN TO ALL	06
		A090102P	PSYCHOLOGY LAB WORK	OPEN TO ALL	06
09	SOCIOLOGY	A070201T	SOCIETY IN INDIA : STRUCTURE, ORGANAIZATION & CHANGE	OPEN TO ALL	.06
		A070202P	WRITING SKILLS DEV.ON TOPICS OF CONTEMPRORY SOCIAOLOGICAL IMPORTANCE	OPEN TO ALL	06
10.	EDUCATION	EO10101T	CONCEPTUAL FRAMEWORK OF EDUCATION	OPEN TO ALL	06
		E010102P	PRACTICAL READ THE PREAMABLE OF INDIAN CONSTITUTION, UNDERSTAND AND ANALYSE ITS BASIC, IDEAS OF JUSTICE, EQUALITY, LIBERTYAND FATERNITY PREPARE A REPORT AND PRESENT WHAT YOU HAVE CONCEPTUALIZE.	OPEN TO ALL	06

कौशल-विकास/रोजगार-परक (वोकेशनल) पाठ्यक्रम-

क्रम संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण शुल्क
1	सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा	800/-
2	सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	800/-
3	सर्टिफिकेट कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग	800/-
4	सर्टिफिकेट कोर्स इन ब्यूटीशियन	800/-

नोट– स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सभी प्रवेशार्थी का उक्त कौशल– विकास / रोजगारपरक (वोकेशनल) पाठ्यक्रम में से किसी एक चुनाव करना अनिवार्य है।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण-

1. बी0ए0 प्रथम वर्ष = 720
2. एम0 ए0 प्रथम वर्ष = 80 (प्रति विषय)
   हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं अंग्रेजी
3. एम0 ए0 प्रथम वर्ष भूगोल (स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत) = 50
4. बी0एड्0 प्रथम वर्ष = 99

7- प्रवेशोपरान्त ध्यातव्य बिन्दु

प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी को निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से कर लेने चाहिए।

6.1 प्रवेश–शुल्क देने पर अभ्यर्थी को शुल्क रसीद और परिचय–पत्र दिया जायेगा । अंभ्यर्थी को चाहिए कि परिचय–पत्र में अपना नवीनतम फोटो प्रवेश आवेदन–पत्र में लगे फोटो की प्रति लगा कर उस पर मुख्य नियन्ता के हस्ताक्षर करा लें एवं मुहर लगवा लें।

6.2 अभ्यर्थी अपनी प्रवेश–शुल्क–रसीद और परिचय–पत्र देकर पुस्तकालय कार्ड बनवा लें जिससे पुस्तकें प्राप्त हो सकें।

6.3 अभ्यर्थी को सूचना पट्ट देखकर समय–सारिणी नोट कर लेनी चाहिए और उसके अनुसार विषयों की कक्षाओं में जाना चाहिए जिससें उनकी उपस्थिति कम न हो सके। प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

6.4 अभ्यर्थी को एन.सी.सी., NSS आदि में प्रवेश हेतु प्रार्थना–पत्र प्रवेश के तत्काल बाद दे देना चाहिए।

8- छात्र-कल्याणकारी योजनायें

विद्यार्थियों के कल्याण और व्यक्तित्व के विकास के लिए महाविद्यालय में अनेक कल्याणकारी योजनायें है। इन योजनाओं से लाभ लेना चाहिए। इनका विवरण निम्नवत् है–

7.1 नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.) छात्र–छात्राओं को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए महाविद्यालय में पुरूष एन.सी.सी. की यूनिट है। पुरूष यूनिट में 50 छात्र नामांकित होते है।

7.2 सेवा योजना सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र : छात्र– छात्राओं को रोजगार सम्बन्धी जानकारी एवं निर्देश देने के लिए परामर्श–केन्द्र स्थापित किया गया है। विद्यार्थी को रोजगार ढूंढ़ने के लिए इस केन्द्र का लाभ लेना चाहिए।

7.3 छात्रवृत्ति : छात्र–छात्रओं को विश्वविद्यालय, समाज कल्याण विभाग और सरकार की ओर से अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां मिलती है। छात्र–छात्राओं को चाहिए कि छात्रवृत्ति प्रभारी से इनके विषय में जानकारी लेते रहें और समय से आवेदन–पत्र भर दें।

7.4 महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम चलाया जाता है। यह कार्यक्रम केवल BAI BAII के छात्र/ छात्राओं के लिए है।

7.5 महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वोकेशनल पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

9- पाठ्येत्तर क्रियाकलाप

8.1 क्रीड़ा व्यवस्था : छात्रों के स्वास्थ्य, बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए विभिन्न खेलों की व्यवस्था है। महाविद्यालय क्रीड़ांगन में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वालीबॉल, बास्केट बॉल, लान टेनिस, बैडमिन्टन आदि खेलों की व्यवस्था है। छात्रों को चाहिए कि वे खेलों में अधिकाधिक संख्या में भाग लें ।

8.2 व्यायामशाला : महाविद्यालय में व्यायामशाला भी है। व्यायामशाला आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित है।

10- पुस्तकालय एवं उसके नियम

महाविद्यालय के पुस्तकालय में प्राध्यापित विषयों एवं दुर्लभ पुस्तकों के उत्तमोत्तम ग्रन्थों का संग्रह है। इसमें हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, संस्कृत, दर्शन आदि विषयों के दुर्लभ ग्रन्थ उपलब्ध है। विद्यार्थियों को पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग करना चाहिये। महाविद्यालय के पुस्तकालय का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। छात्र ई लर्निंग की सुविधा, पुस्तकालय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय सम्बन्धी निम्नस्थ नियमों का पालन करना अनिवार्य है :–

9.1 पुस्तकालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी अपने पास परिचय–पत्र अवश्य रखें। बिना परिचय–पत्र के किसी भी छात्र का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित है।

9.2 छात्रों को एक समय में केवल दो ही पुस्तकें दी जायेगी।

9.3 पुस्तक निर्गत और वापस करते समय पुस्तकालय कार्ड की प्रस्तुति अनिवार्य है।

9.4 पुस्तकें अधिकतम 14 दिनों के लिए निर्गत की जाती है।

9.5 निर्धारित तिथि को पुस्तक न जमा करने पर 1 रूपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब दण्ड देय होगा।

9.6 पुस्तकालय से पुस्तकें लेते समय विद्यार्थी पुस्तक को भली–भाँति देख लें। यदि वह कहीं पर कटी–फटी हो या उस पर कुछ लिखा गया है तो इसे पुस्तकालयाध्यक्ष को दिखा दें। ऐसा न करने पर पुस्तक फाड़ने व गन्दी करने का दोष विद्यार्थी का माना जायेंगा। और वह दण्डित किया जायेगा।

9.7 पुस्तकालय की पुस्तकों को फाड़ना या गन्दी करना दण्डनीय है।

9.8 पुस्तकालय की पुस्तकों को निर्धारित तिथि के पूर्व भी किसी भी समय लिखित व मौखिक सूचना देकर वापस लिया जा सकता है।

9.9 यदि पुस्तक निर्गमन तिथि से 2 माह तक वापस नहीं की जाती है तो उसे खोयी हुई समझकर 10 रूपये अर्थदण्ड तथा डाक खर्च सहित पुस्तक का अद्यतन मूल्य जमा कराया जायेग।

9.10 सुरक्षित तथा बहुमूल्य पुस्तके, पत्र–पत्रिकायें जर्नल्स, पाठ्यक्रम (सिलेबस) तथा दुर्लभ पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेगी। इन्हें पुस्तकालय–भवन में ही पढ़ा जा सकता है।

9.11 पुस्तकालय –भवन में शोरगुल करने पर किसी भी विद्यार्थी को पुस्तकालयाध्यक्ष बाहर जाने को बाध्य कर सकते है।

9.12 निर्गमनपटल पर भीड़ होने पर पहले छात्राओं को ही पुस्तकें दी जायेगी।

9.13 पुस्तकें राष्ट्रीय सम्पत्ति है, अतः इन्हें चुराना व नष्ट करना गम्भीर दण्डनीय अपराध है।

9.14 पुस्तकालय कार्ड खो जाने पर रूपये 25.00 जमा करने के पश्चात् ही द्वितीय प्रति निर्गत की जायेगी।

11. वाचनालय

10. पुस्तकालय भवन में ही एक वाचनालय की व्यवस्था की गयी है, जहाँ विभिन्न दैनिक साप्ताहिक पत्र–पत्रिकायें,जर्नल्स आदि पढ़ने के लिए उपलब्ध होते है । विद्यार्थी अपने रिक्त वादन में इधर–उधर समय नष्ट न करके वाचनालय में जायें और पत्र–पत्रकायें पढ़े। इससे उनको सामान्य ज्ञान विस्तृत होगा।

12. महिला-छात्रावास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता के कॉलेज कैम्पस में एक महिला छात्रवास अवस्थित है। इसमें 40 छात्राओं के लिए आवसीय सुविधा है। छात्रावास सम्बन्धी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

11.1 छात्रावास में छात्रा को प्रवेश केवल एक सत्र के लिए अनुमन्य होगा।

11.2 छात्रावास में छात्राओं के अगले सत्र मे प्रवेश पर विचार करतें समय उनके उत्तम आचरण का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

11.3 छात्रा अपने किसी परिचित या अतिथि को अपने कक्ष में नहीं रख सकती है।

11.4 छात्राओं के माता/पिता निर्धारित दिवस व समय पर वार्डन की अनुमति से अपनी पाल्या से भेट कर सकते है।

11.5 छात्रावास में रहने वाली छात्रा के अभिभावक माता–पिता ही माने जायेंगे। छात्रावास में प्रवेश के समय माता–पिता में से किसी एक की उपस्थिति अनिवार्य है।

11.6 संक्रमक रोग से ग्रस्त छात्रा को छात्रावास में रहने की अनुमति नही दी जायेगी।

11.7 छात्रावास में केवल अविवाहित छात्राओं को ही प्रवेश दिया जायेगा।

11.8 छात्रावास में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया छात्रा के माता–पिता ही उप स्थिति में पूर्ण की जायेगी।

11.9 छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को महाविद्यालय परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11.10 छात्रावास छोड़ते समय प्रत्येक अवसर पर छात्रा वार्डेन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

11.11 छात्रावास का एक सत्र (दस मास) शुल्क, रूपये 6000 प्रवेश के समय जमा करना होगा।

11.12 छात्रावास का संचालन महाविद्यालय की एक समिति द्वारा किया जाता है।

11.13 छात्रावास का प्रवेश लेते समय छात्राओं को मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11.14 10 किलोमीटर क्षेत्र की परिसीमा के अन्तर्गत निवास करने वाली छात्राओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

13. अनुशासन

छात्रों में अनुशासन की भावना जाग्रत रखने के लिए तथा उन्हें शिष्टाचार सम्बन्धी नियमों की शिक्षा देने के लिए अनुशासन समिति एवं नियन्ता–परिषद का गठन किया गया है। निम्नलिखित नियम छात्र–छात्राओं के लिए अनुलंघ्य है, जो महाविद्यालय के प्रत्येक नियमित छात्र–छात्रा पर लागू होंगे :–

12.1 छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को दशहरा, दीपावली, शीतावकाश व होली की छुट्टियों में केवल अभिभावकों के साथ घर जाने की अनुमति दी जायेगी। अभिभावकों को चाहिए कि वे महाविद्यालय खुला रहनेपर अथवा छोटे अवकाशों में अपनी पाल्या को घर न बुलावें।

12.2 दशहरा–अवकाश, दीपावली, शीतावकाश व होली के ठीक एक दिन पहले अनुपस्थित रहने वाले छात्र पर 4 रूपये अर्थदण्ड किया जायेगा। यह दण्ड उक्त छुट्टी की समाप्ति के बाद महाविद्यालय खुलने पर अनुपस्थित रहने की दशा में भी लिया जायेगा।

12.3 जिस विद्यार्थी की कार्य अथवा सामान्य आचरण असन्तोषजनक पाया जयेगा, उसका विश्वद्यिालय की परीक्षा में बैठने का निर्धारित आवेदन– पत्र प्राचार्य द्वारा रोका जा सकता है।

12.4 शुल्क–मुक्ति, छात्रवृत्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सहायता महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निरस्त की जा सकती है, यदि सहायता पाने वाला विद्यार्थी

(क) पढ़ाई–लिखाई सम्बन्धी कार्य में आवश्यक प्रगति नहीं कर पाता है।

(ख) महाविद्यालय में आवश्यक उत्तीर्णांक पाने में असमर्थ है।

(ग) विनय सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है।

(घ) कक्षाओं में अनुपस्थित पाया जाता है।

12.5 महाविद्यालय में उपस्थित होते हुए भी किसी कक्षा में अनुपस्थित पाया जाने वाला छात्र 10 रूपये के विशेष अर्थदण्ड का भागी होगा।

12.6 विनय एवं अनुशासन के सम्बन्ध में दोषी छात्र के अपराध की प्रकृति के अनुसार–

(क) महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। अथवा

(ख) निलम्बित किया जा सकता है। अथवा

(ग) आर्थिक रूप से दण्डित किया जा सकता है।

12.7 कोई भी विद्यार्थी महाविद्यालय से असम्बद्ध किसी भी संस्था, परिषद, क्लब या किसी प्रकार के संगठन का सदस्य प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं बन सकता । ऐसा करने पर दोषी छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

12.8 प्रत्येक छात्र/छात्रा को मूल्यपरक शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता हेतु संकल्प लेना होगा।

12.9 परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 दिन पूर्व से कोई भी छात्र प्राचार्य की अनुमति के बिना अपना स्थानीय आवास नहीं छोड़ेगा।

12.10 कक्षा में उपस्थिति आवश्यक एवं अनिवार्य है। प्रत्येक विषय की शिक्षण कक्षा में 75% से कम उपस्थिति वाला छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।

12.11 सत्र में विलम्ब से प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा की उपस्थिति का दायित्व उनका स्वयं का होगा।

12.12 बीमारी के कारण अनुपस्थित विद्यार्थी राजपत्रित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा–प्रमाण–पत्र के आधार पर उपस्थिति में आवश्यक छूट पा सकेगा। यदि विद्यार्थी बीमार पड़ गया है बाहर नियमित छुट्टी लेकर गया है तो सक्षमचिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

12.13 किसी तरह की अवधान राशि महाविद्यालय छोड़ने के छह माह के बाद ही वापस दी जा सकेगी। यदि यह राशि महाविद्यालय छोड़ने के दो वर्ष के भीतर वापस नहीं ली गयी तो उक्त धनराशि महाविद्यालय के कोष में दे दी जायेगी और उसकी वापसी नहीं होगी।

12.14 प्रत्येक विद्यार्थी को सम्पूर्ण सत्र का शुल्क देना होगा जो विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण–संस्था में कुछ दिन शिक्षा पाकर किसी विशेष कारण से यहाँ प्रवेश लेना चाहेंगे तो उन पर यह नियम लागू होगा। उस दशा में उन्हें पूर्व महाविद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र देना होगा।

12.15 मध्य सत्र महाविद्यालय छोड़ने वाले छात्रों को–

(क) महाविद्यालय छोड़ने का उचित कारण देना होगा।

(ख) सभी प्रकार का शुल्क और सामानों को जमा करना होगा।

12.16 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अदेय प्रमाण–पत्र अथवा प्रवेश–पत्र सभी प्रकार के शुल्क, सामान, पुस्तकें आदि जमा करने पर ही दिया जा सकेगा।

(ग) छात्रवृत्ति या अन्य किसी भी रूप से उपलब्ध आर्थिक अथवा अन्य प्रकार ही सहायता लौटानी होगी।

12.17 यदि विद्यार्थी–

(क) शुल्क न देने के कारण अथवा

(ख) सीमित अवधि के लिए वहिष्कृत होने के कारण अथवा

(ग) किसी अन्य कारण से महाविद्यालय का नियमित छात्र नहीं रह गया है तो महाविद्यालय–परिसर में प्रवेश करने पर उसे दण्डित किया जायेगा।

12.18 चेचक अथवा संक्रामक रोग से बचाव के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को टीका लगवाना होगा।

12.19 विद्यार्थी को अपना परिचय–पत्र महाविद्यालय प्रागंण में, किसी दर्शनीय स्थल पर जाते समय, किसी कार्यालय में जाने पर अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानादि पर जाने पर अपने साथ रखना होगा।

12.20 महाविद्यालय में छात्रों को किसी प्राध्यापक, नियन्ता अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा मांगने पर परिचय–पत्र दिखाना होगा। परिचय–पत्र न दिखाने वाला छात्र दण्डित होगा।

12.21 महाविद्यालय में मोबाइल फोन लेकर प्रवेश करना वर्जित है।

14. विनय और शिष्टाचार

इस महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी से आशा की जाती है कि उनका आचरण महाविद्यालय के गौरव एंव गरिमा के अनुरूप होगा। छात्र अथवा छात्रा महाविद्यालय प्रागंण में अथवा उसके बाहर कोई ऐसा कार्य न करे जिससे संस्था की छवि धूमिल हो। निम्नलिखित नियमों का पालन करना उसका कर्तव्य है–

13.1 कक्षाओं के सामने गैलरी में अथवा बाहर खिड़की के समीप टहलना वर्जित है।

13.2 पुस्तकालय, वाचनालय तथा कक्षाओं में पूर्ण शान्ति बनाए रखें।

13.3 गुरूजनों से बात करते समय मेज पर झुकना नहीं चाहिए। उचित दूरी पर खड़े होकर ही बात करनी चाहिए।

13.4 महाविद्यालय आते जाते समय विद्यार्थी का व्यवहार एंव आचरण अनुशासित होना चाहिए।

13.5 महाविद्यालय–प्रांगण में शोरगुल न करें व परस्पर विनम्रपूर्वक बात करें।

13.6 छात्र अपनी साइकिलों में जंजीरयुक्त ताला अवश्य लगायें और उनका नम्बर आदि याद रखें तथा उन्हे निर्धारित स्थान पर ही रखें।

13.7 विद्यार्थियों को अपना परिचय पत्र, (आइडेन्टिटी कार्ड) सदैव अपने साथ रखना चाहिए।

13.8 छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय के प्रवेश–द्वार पर अथवा सम्पर्क–मार्ग के बीच खड़े होकर बात नहीं करना है।

13.9 छात्र–छात्राओं को अपने अवकाश –क्षणों का प्रयोग अध्ययन, मनन एवं शैक्षणिक विचार–विनिमय में करना चाहिए।

13.10 छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग कॉमन रूम की व्यवस्था है।

13.11 महाविद्यालय–परिसर में धूम्रपान अथवा कोई भी अन्यथा गतिविधि पूर्णतया वर्जित है। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय–परिसर से बाहर भी स्वयं को इस प्रकार की वृत्ति से अलग रखें।

13.12 कार्यालय सम्बन्धी किसी कार्य के लिए छात्र/छात्रा पंक्तिबद्ध क्रम में ही खिड़की के सामने खड़े हों।

13.13 निर्धारित परिधान को धारण किये बिना किसी विद्यार्थी का शिक्षण कक्ष में प्रवेश वर्जित है।

13.14 प्रत्येक विषय एवं प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

15. छात्राओं के लिए विशेष नियम

14.1 छात्राएं अपनी डॉक अथवा पत्र घर के पते पर ही मगवायें।

14.2 छात्राएं महाविद्यालय–प्रांगण में किसी छात्र अथवा सम्बन्धी से बात न करें।

14.3 महाविद्यालय–प्रांगण में अथवा बाहर मर्यादित व्यवहार करें।

16. महाविद्यालय-परिधान

महाविद्यालय में अनुशासन–व्यवस्था बनाए रखने के लिए छात्र–छात्राओं के लिए महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परिधान अनिवार्य है।

15.1 निर्धारित परिधान महाविद्यालय के समस्त छात्र–छात्राओं के लिए अनिवार्य होगा।

15.2 छात्रों के लिए सिलेटी रंग का पैंट व सफेद रंग की शर्ट निर्धारित है।

15.3 छात्राओं के लिए सिलेटी रंग का कुर्ता–सफेद रंग का सलवार एवं दुपट्टा निर्धारित है।

साड़ी पहनने वाली छात्राओं के लिए सिलेटी रंग का ब्लाउज व हल्के गुलाबी रंग की साड़ी अनिवार्य है।

17. महाविद्यालय-पत्रिका

विद्यार्थियों में सामाजिक, साहित्यिक एंव गवेषणात्मक प्रतिभा को विकसित करने के लिए महाविद्यालय की पत्रिका भारती का प्रकाशन होता है। 1981–82 की भारती सूर अंक के रूप में प्रकाशित हुई है जो विद्यार्थियों एवं जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 1990–91 में महाविद्यालय–पत्रिका, भारती का प्रकाशन विशेषांक के रूप में किया गया है। वर्ष 2005 में महाविद्यालय सेवा योजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र के तत्वावधान में रोजगार भारती नामक पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ है।

18. साइकिल स्टैण्ड

महाविद्यालय में साइकिल–सटैण्ड की व्यवस्था की गयी है। इसका प्रपत्र विवरणिका में संलग्न है। इसकों पूरित करके प्रवेश फॉर्म के साथ अवश्य जमा करें । छात्र अपने वाहन. विद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखें। साइकिल में जंजीरयुक्त ताला लगाना अनिवार्य है। बिना तालों की साइकिल रखने वाले अथवा अनिर्धारित स्थान पर साइकिल रखने वालें छात्र दण्डित किये जायेगें। साइकिल शुल्क रू0 100/– प्रति सत्र देय होगा एवं मोटर साइकिल, स्कूटर आदि रू0 150/– प्रति सत्र देय होगा।

19. महाविद्यालय की प्रबन्ध-समिति

1.	श्री जितेन्द्र प्रकाश टण्डन	–	अध्यक्ष
2.	श्री कृष्ण कुमार टण्डन	–	मंत्री
3.	श्री संजय सेठ	–	संयुक्त मंत्री
4.	श्री ताराकान्त त्रिपाठी	–	सदस्य
5.	श्री सुरेश चन्द श्रीवास्तव	–	सदस्य
6.	डॉ. आनन्द कुमार बहल	–	उपाध्यक्ष
7.	श्री विवेक मेहरोत्रा	–	सदस्य
8.	श्री सुशील कपूर	–	सदस्य
9.	श्री आनन्द कुमार दुबे	–	सदस्य
10.	श्री जितेन्द्र सिंहल	–	सदस्य
11.	श्री लालता प्रसाद गुप्ता	–	सदस्य
12.	श्री राम प्रसाद बंका	–	सदस्य
13.	प्रा. शुचिता पाण्डेय	–	प्राचार्य (पदेन सदस्य)
14.	डॉ. सत्य प्रकाश त्रिपाठी	–	सदस्य एक वर्ष (प्राध्यापक प्रतिनिधि)
15.	डॉ. सिद्धार्थ पाण्डेय	–	सदस्य एक वर्ष (प्राध्यापक प्रतिनिधि)
16.	श्री अभिनव श्रीवास्तव	–	सदस्य एक वर्ष (शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि)

20. महाविद्यालय के प्राचार्य

प्रो0 शुचिता पाण्डेय	**प्राचार्य**	**उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित**

21. महाविद्यालय के अध्यापक

1.	डॉ. अर्चना पाठक	एसो.प्रो. वरिष्ठतम्, समाजशास्त्र–विभाग
2.	डॉ. प्रेमचन्द्र यादव	एसो.प्रो. वरिष्ठतम्, राजनीतिशास्त्र–विभाग
3.	डॉ. सत्यप्रकाश त्रिपाठी	एसो.प्रो. वरिष्ठतम्, हिन्दी–विभाग
4.	डॉ. सिद्धार्थ पाण्डेय	एसो.प्रो. वरिष्ठतम्, अर्थशास्त्र–विभाग
5.	डॉ. जय मंगल पाण्डेय	एसो.प्रो. वरिष्ठतम्, संस्कृत–विभाग
6.	डॉ. श्वेता रस्तोगी	एसो.प्रो. वरिष्ठतम्, प्राध्यापिका,बी.एड्.
7.	श्री विवेक कुमार तिवारी	असि.प्रो. वरिष्ठतम्, मध्यकालीन इतिहास–विभाग
8.	श्री विजय कुमार गुप्ता	असि.प्रो. समाजशास्त्र–विभाग
9.	श्रीमती सीमा	असि.प्रो. समाजशास्त्र–विभाग
10.	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	असि.प्रो. बी.एड्.–विभाग

11.	श्री आलोक तिवारी	असि.प्रो. बी.एड्.–विभाग
12.	डॉ. वसीम जहरा	असि.प्रो. बी.एड्.–विभाग
13.	श्री अनिल कुमार	असि.प्रो. बी.एड्.–विभाग
14.	श्री हरिओम शर्मा	असि.प्रो. शिक्षाशास्त्र–विभाग
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह	असि.प्रो. बी.एड्.–विभाग
16.	श्री दिनेश कुमार	असि.प्रो. समाजशास्त्र–विभाग
17.	डॉ. अनिल कुमार	असि.प्रो. समाजशास्त्र–विभाग
18.	डॉ. शशांक मिश्र	असि.प्रो. हिन्दी–विभाग
19.	श्री अमित	असि.प्रो. हिन्दी–विभाग
20.	श्री हरिकेश	असि.प्रो. हिन्दी–विभाग
21.	श्री आशीष कुमार चतुर्वेदी	असि.प्रो. संस्कृत–विभाग
22.	श्री वागीश कुमार शुक्ल	असि.प्रो. हिन्दी–विभाग
23.	डॉ. अतुल मिश्र	असि.प्रो. समाजशास्त्र–विभाग
24.	डॉ. कमल कुमार त्रिपाठी	असि.प्रो. भूगोल
25.	श्री अंचल कुमार	असि.प्रो. भूगोल
26	सुमित्रा पटेल	असि.प्रो. भूगोल
27.	श्री विनय कुमार	असि.प्रो. [redacted]
28.	श्री सुधीर कुमार मिश्र	असि.प्रो. शिक्षाशास्त्र

22. कार्यालय

1.	श्री अखिलेश कुमार शर्मा	वरिष्ठ कार्यालय सहायक
2.	श्री अभिनव श्रीवास्तव	वरिष्ठ कार्यालय सहायक
3.	श्री जितेन्द्र वर्मा	वरिष्ठ कार्यालय सहायक

23. पुस्तकालय

1.	श्री भूपेन्द्र मोहन श्रीवास्तव	वरिष्ठ कार्यालय सहायक एवं पुस्तकालय कार्य

24. परिचारक

1.	[redacted]	[redacted]
2.	श्रीमती सावित्री देवी	परिचारक
3.	श्री विपिन कुमार	परिचारक
4.	श्री सतीश कुमार सोनकर	परिचारक
5.	श्री शैलेश त्रिपाठी	परिचारक
6.	श्री संजय सिंह प्रयोगशाला, परिचर	प्रयोगशाला परिचर
7.	श्री राजेश कुमार चौकीदार	चौकीदार
8.	श्री कोरी मनोज कुमार	परिचालक

महाविद्यालय-कुलगीत

वीर विश्वेश्वरनाथ दान में, दे आशीष हमें
अमर कर गये अपने को, हम करते नमन तुम्हें।
संरक्षक कैलास विहारी का संरक्षण पा,
लगता हमको ऐसा जाने क्या मिल गया हमें।।

स्मृतियों के सुमन खिल गये हों, ज्यों सावन में,
झूम रहे अलिवृन्द गुरूजनों के इस कानन में।
विद्या–रस में डूब रहे अलि शावक–छात्र यहाँ,
पग–पग पर है ज्ञान बरसता, करता मुदित हमें।।

तमसा तम का नाश कर, रही बनी ज्ञान का धारा,
अमर कर गये अपने को, हम करते नमन तुम्हें।
इसकी महिमा गाते है सुरवृन्द अमरपुर में,
कण–कण इसका पावन, कितना सुन्दर लगे हमें।।

काजी अशरफ पीर किछौछा का है उजियारा,
यहीं जायसी के गुरू हैं, मकदूम नाम प्यारा।
श्री कमाल पण्डित देते आशीष सभी को है,
साहब श्री गोविन्द कृपा की मूरति लगे हमें।।

शिव बाबा का चमत्कार दुनिया से छिपा नहीं,
सबकी की पूरी मुराद फिर भी कुछ लिया नहीं।
श्रृंगीऋषि का परम अनुग्रह सबकों सदा मिला,
तपस्थली भी आज श्रवण की जागृत लगी हमें।।

सिद्धो की इस परम भूमि पर है मन्दिर अपना,
निर्धन को वैभव देता है, पूर्ण करे सपना।
मोती–मणियां विशद ज्ञान की बांट रहा सबकों,
ज्ञान महाविद्यालय का फलदायी लगा हमें।।

रामचन्द्र की कृपा बरसती है इस मन्दिर पर,
सरस्वती माँ की अनुकम्पा सदा रही इस पर।
हनुमान के अमिट प्रेमक का संबल मिला इसें,
नारायण का हाथ कृपा का इस पर दिखा हमें।।

प्राचि से हम नमस्कार करते इस मन्दिर को,
पश्चिम से शतबार नमन हम करते इस घरको।
उत्तर से भी कोटि नमन हम करते हैं इसकों,
दक्षिण से हर बार नमन कर अच्छा लगा हमें।।

-डॉ0 अजीत कुमार सारस्वत

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

कुलगीत

यही है ज्ञान का मन्दिर, कला विज्ञान का मन्दिर
हमारा विश्वविद्यालय , अवध की शान का मन्दिर।।
यही गंगा, यही यमुना, यही है भारती भास्वर,
त्रिवेणी है यही अपनी मिले हैं सत्य शिव सुन्दर।।
यही तीरथ यही संगम यही भगवान का मन्दिर।।
यही है ज्ञान का मन्दिर ....अवध की शान का मन्दिर।
हिमालय से उत्तर सरयू बहाती पुण्य की धारा,
लुटाता ज्योति का सोना , जहाँ सूरज थका हारा।।
जहाँ श्रीराम का घर है, जहाँ हनुमान का मन्दिर।।
यही है ज्ञान का मन्दिर......................................अवध की शान का मन्दिर।
कथा रघुवंश की कहते, जहाँ के धूलि के कण-कण
जहाँ थी राजधानी, राम के साम्राज्य की पावन।
वही पर है बना यह राष्ट्र के उत्थान का मन्दिर।
यही है ज्ञान का मन्दिर......................................अवध की शान का मन्दिर।
कभी गूंजी जहाँ पर बौद्ध जैनों की अमर वाणी,
नवाबों और मुगलों की कला की भूमि कल्याणी।
यही काबा यही काशी यही इंसाफ का मन्दिर।
यही है ज्ञान का मन्दिर......................................अवध की शान का मन्दिर।
अमर शिल्पी हुआ तुलसी, बनाकर काव्य का पुष्कर,
बने सोपान जिसमें सात सुन्दर चार घाटों पर।
जहाँ निर्मित हुआ यह राम के आख्यान का मन्दिर।
यही है ज्ञान का मन्दिर......................................अवध की शान का मन्दिर।
यही है सत्य का मन्दिर, यही है न्याय का मन्दिर,
यही तप त्याग का गुरूकुल, यही स्वाध्याय का मन्दिर।
शिखर यह शम्भू के कैलाश का कल्याण का मन्दिर।
यही है ज्ञान का मन्दिर......................................अवध की शान का मन्दिर।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

:– छात्रोपयोगी विशेष सूचना :–

1. विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा का आवेदन–पत्र आनलाइन www.rmlauexams.co.in पर स्वयं विश्वद्यिालय द्वारा निर्धारित समय पर लागिन करें। इसके बाद हार्डकापी महाविद्यालय के सम्बन्धित पटल पर जमा करें।

2. आनलाइन परीक्षा आवेदन–पत्र के "लागिन" के जिम्मेदारी महाविद्यालय की नहीं होगी।

3. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन शासन द्वारा निर्धारित समय पर www.scholarship.up.nic.in पर छात्र स्वयं "लागिन" करें एवं उसकी हार्डकापी महाविद्यालय के सम्बन्धित पटल पर जमा कर दें।

4. किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सम्बन्धित पटल से सम्पर्क करें।

5 परीक्षा आवेदन–पत्र एवं छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र पूरित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की ही होगी।

6. उक्त दोनो आवेदन–पत्रों में यदि कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए सम्बन्धित विद्यार्थी जिम्मेदारी होंगे।

पी.जी. भवन

मुख्य कार्यालय

राष्ट्रीय सेवा योजना

पुस्तकालय

विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देने योग्य बातें

1. परिचय-पत्र के बिना छात्रों का महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है।
2. किसी भी प्राध्यापक के मांगने पर परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।
3. महाविद्यालय परिसर में निर्धारित परिधान (ड्रेस) धारित किये बिना प्रवेश वर्जित है।
4. कोई भी विद्यार्थी अपने साथ किसी मित्र को लेकर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन लेकर आना वर्जित है। मोबाइल फोन के साथ पकड़े जाने पर इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देकर इसे जब्त कर लिया जायेगा।
6. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में 80% उपस्थिति अनिवार्य है।

फोन : 05271-245489

प्राचार्या